an>

Title: Need to provide reservation to differently- abled persons in departmental examination in Coal India Limited.

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : सभापति महोदय, मेरा शून्य काल का विषय विकलांग व्यक्तियों को कोल इंडिया लिमिटेड में आरक्षण बाबत है, जो इस प्रकार है। भारत के प्रधान मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा दिव्यांश व्यक्तियों को उचित एवं न्याय संगत अधिकार देने की बात कहने के बावजूद भी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 2010 से आरक्षण के प्रावधान के अनुसार गैर अधिकारी से अधिकारी वर्ग में नियुक्ति या प्रमोशन नहीं दिया गया है। उक्त आरक्षण को कोल इंडिया लिमिटेड में लागू करने के लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए। पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट, 1995 के प्रावधान के तहत एवं डीओपीटी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है, जैसे भर्ती, प्रमोशन में रोस्टर का बनाना और उचित रख-रखाव किया जाना। जैसे सर्कुलर नम्बर 36035/4/2010/1.8.2011 द्वारा डीओपीटी निर्देशित।

डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार वेल्फेयर आफिसर ई-1 ग्रेड में वर्ष 2012 में कोल इंडिया द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में विकलांग कर्मचारियों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान रखा जाना चाहिए। कोल इंडिया द्वारा अभी तक कितने लोगों को नियुक्ति दी गयी है? यह नियुक्ति कैंडर में विकलांग आरक्षण के अनुसार दी गयी है या नहीं, उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत सरकार के निर्देश के अनुसार पदोन्नति में दृष्टि बाधित कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है या नहीं, उसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि संबंधितों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।